इंग्लैंड एवं वेल्ज के कानून के अंतर्गत आपको निम्नलिखित अधिकार एवं हकों की गारंटी दी जाती है और यह मानवाधिकार पर आधारित यूरोपीयन संविद का अनुपालन करते हैं।

अपने अधिकार याद रखें:

1. पुलिस थाने में रहने के दौरान यदि आपको मदद के लिए वकील चाहिए तो पुलिस को इसके बारे में बताएं। यह मुफ्त है।

2. यदि आप किसी को बताना चाहते हैं कि आप पुलिस थाने में हैं तो पुलिस को यह बात बताएं। यह मुफ्त है।

3. यदि आप उनके नियम देखना चाहते हैं तो पुलिस को बताएं – उन्हें कार्यप्रणाली की आचार संहिता कहते हैं।

यदि आपको चिकित्सीय सहायता चाहिए तो पुलिस को बताएं। यह मुफ्त है।

भीतर आपको अपने अधिकारों के बारे में अधिक जानकारी मिलेगी और यह भी बताया गया है कि पुलिस को आपकी किस प्रकार देखभाल करनी चाहिए एवं उन्हें आपके साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए

Home Office

legal services COMMISSION

The Law Society

अधिकार एवं हकों के नोटिस का यह संस्करण 1/8/11 से प्रभावशाली होगा।

कृपया इस जानकारी को रखें एवं जितनी जल्दी संभव हो इसे पढ़ लें। इससे आपको पुलिस थाने में रहने के दौरान निर्णय लेने में सहायता मिलेगी।

यदि आपको किसी संदिग्ध अपराध के बारे में प्रश्न पूछे जाएं तो आपको कुछ भी कहने की आवश्यकता नहीं है। यद्यपि इससे आपके बचाव को हानि पहुंच सकती है यदि आप न्यायालय में कोई ऐसी चीज बताएं जिसे आपने प्रश्न पूछने पर नहीं बताया था। आपके द्वारा कहे गए किसी भी बात को सबूत के रूप में प्रयोग किया जा सकता है।

1. आपकी मदद करने के लिए वकील की सहायता लेना

- वकील आपको कानूनी मामलों में सहायता कर सकता है और आपको परामर्श दे सकता है।
- वकील से बात करने का अनुरोध करने से ऐसा नहीं लगता है कि आपने कुछ गलत किया है।
- आपको पुलिस की हिरासत में रखने वाले अफसर (पुलिस कस्टडी अफसर) को आपसे अवश्य पूछना चाहिए कि आपको कानूनी परामर्श चाहिए या नहीं। यह मुफ्त है।
- पुलिस थाने में रहने के दौरान पुलिस को आपको किसी भी समय वकील से बात करने की अनुमति देनी चाहिए, चाहे वह दिन हो या रात।
- यदि आपने कानूनी परमार्श का अनुरोध किया है तो साधारणतः वकील से बात करने से पहले पुलिस को आपको प्रश्न नहीं पूछने चाहिए। जब पुलिस आपको प्रश्न पूछ रही हो तो आप अनुरोध कर सकते हैं कि आपके साथ वकील भी कमरे में उपस्थित रहे।
- यदि आप पुलिस से कहते हैं कि आपको कानूनी परामर्श नहीं चाहिए परंतु बाद में आप अपना मन बदल देते हैं तो, पुलिस कस्टडी अफसर से कहें जो वकील से संपर्क करने में आपकी सहायता करेगा।
- यदि वकील न आए अथवा आपसे पुलिस थाने में संपर्क न करे, अथवा आपको दोबारा वकील से बात करने की आवश्यकता हो तो, पुलिस से कहें कि वे उनसे दोबारा संपर्क करें।

कुछ अल्प गंभीर मामलों के बारे में मुफ्त कानूनी परामर्श:

~ यह क्रिमिनल डिफेंस सर्विस (सी.डी.एस) डायरेक्ट से टेलीफोन पर विशेषज्ञता प्राप्त परामर्शदाताओं से परामर्श प्राप्त करने तक सीमित है यदि न सीमित अपवाद लागू हों जब वकील को पुलिस थाने आना चाहिए, जैसे कि:

~ पुलिस आपसे किसी अपराध के बारे में प्रश्न पूछना चाहती है अथवा चश्मदीद गवाह द्वारा पहचान करवाने की कार्यप्रणाली कार्यांवित करना चाहती है

~ आपको किसी "उचित प्रौढ़ व्यक्ति" से मदद चाहिए। "जिन लोगों को सहायता चाहिए" नामक भाग देखें।

~ आप टेलीफोन पर बात नहीं कर सकते हैं, अथवा

~ आपने आरोप लगाया है कि पुलिस ने गंभीर दुर्व्यवहार किया है।

जब मुफ्त कानूनी परामर्श, सी.डी.एस डायरेक्ट से टेलीफोन परामर्श प्राप्त करने तक सीमित नहीं है:

- आप अपने जाने पहचाने वकील से बात करने का अनुरोध कर सकते हैं और यदि वे कानूनी सहायता (लीगल एड) का काम करते हैं तो आपको पैसे नहीं देने पड़ेंगे। यदि आप किसी वकील को नहीं जानते हैं अथवा आपके जाने पहचाने वकील से संपर्क नहीं हो पा रहा है तो आप ड्यूटी वकील से बात कर सकते हैं। यह मुफ्त है।
  - ड्यूटी वकील का पुलिस के साथ कोई लेना देना नहीं है।

मुफ्त कानूनी परामर्श का प्रबंध करना:

- पुलिस, डिफेंस सॉलिसिटर कॉल सेंटर (डी.एस.सी.सी) से संपर्क करेगी। डी.एस.सी.सी आपको सी.डी.एस. डायरेक्ट से, या आपके द्वारा अनुरोध किए गए वकील से या ड्यूटी सॉलिसिटर से कानूनी सलाह देने का प्रबंध करेगा।
- डी.एस.सी.सी और सी.डी.एस दोनों स्वाधीन सेवाएं हैं जिन पर मुफ्त कानूनी परामर्श का प्रबंध करने का दायित्व है और इनका पुलिस के साथ कोई लेना देना नहीं है।

यदि आप स्वयं कानूनी परामर्श के लिए पैसे देना चाहते हैं:

- जब मुफ्त कानूनी परामर्श सी.डी.एस डायरेक्ट से मिलने वाली टेलीफोन परामर्श तक सीमित हो तो यदि आप चाहें आप अपने पसन्दीदा वकील से बात कर सकते हैं परंतु लीगल एड (कानूनी सहायता) इसके पैसे नहीं देगा और आपसे शायद भुगतान करने के लिए कहा जा सकता है। डी.एस.सी.सी आपकी ओर से आपके वकील से संपर्क करेगा।
  - आपके पास यह अधिकार है कि आप टेलीफोन पर अपने पसन्दीदा वकील से निजी परामर्श प्राप्त करें अथवा वे शायद पुलिस थाने में आ कर आपसे मिलने का निर्णय ले सकते हैं।
- यदि आपके पसन्दीदा वकील से संपर्क नहीं हो पा रहा है तो, पुलिस फिर भी डी.एस.सी.सी को कॉल कर सकती है जिससे कि वे ड्यूटी वकील के साथ मुफ्त कानूनी परामर्श का प्रबंध करें।

2. किसी को बताना कि आप पुलिस थाने में हैं

- आप पुलिस से कह सकते हैं कि वे किसी व्यक्ति को संपर्क करके बताएं कि आप पुलिस थाने में हैं। यह मुफ्त है। जितनी जल्दी संभव हो वे आपके लिए किसी से संपर्क करेंगे।

3. कार्यप्रणाली की आचार संहिता देखना

- कार्यप्रणाली की आचार संहिता ऐसे नियम हैं जो आपको बताते हैं कि आपके पुलिस थाने में रहने के दौरान पुलिस क्या कर सकती है और क्या नहीं कर सकती है।
  - पुलिस आपको कार्यप्रणाली की आचार संहिता पढ़ने देगी परंतु आप उसे इतने लंबे समय तक नहीं पढ़ सकते हैं कि पुलिस को जानने में देरी हो कि आपने कानून तोड़ा है या नहीं।
- यदि आप कार्यप्रणाली की आचार संहिता पढ़ना चाहते हैं तो, पुलिस कस्टडी अफसर को यह बात बताएं।

पुलिस थाने में रहने से संबंधित जिन अन्य चीजों का ज्ञान होना चाहिए

पुलिस थाने में आपके बीते समय का विवरण प्राप्त करना

- पुलिस थाने में रहने के दौरान आपके साथ जो होता है उस सब को रिकार्ड किया जाता है। इसे कस्टडी रिकार्ड कहते हैं।
- जब आप पुलिस थाने से जाते हैं तो आप, आपका वकील अथवा आपका उचित प्रौढ़ व्यक्ति, कस्टडी रिकार्ड की एक प्रति मांग सकता है। जितनी जल्दी संभव हो पुलिस को आपको आपके कस्टडी रिकार्ड की एक प्रति देनी होगी।
- पुलिस थाने से जाने के 12 महीनों बाद तक आप पुलिस से अपने कस्टडी रिकार्ड की प्रति मांग सकते हैं।

आपसे कैसा बर्ताव किया जाना चाहिए और आपकी देखभाल किस प्रकार की जानी चाहिए

यह संक्षिप्त टिप्पणियां हैं जो आपको बताती हैं कि पुलिस थाने में रखे जाने के दौरान आप क्या प्रत्याशा कर सकते हैं। अधिक जानने के लिए, कार्यप्रणाली की आचार संहिता देखने का अनुरोध करें। उसमें एक सूची शामिल की गई है जो बताती है कि इन में से प्रत्येक के बारे मेंआपको अधिक जानकारी कहां से मिल सकती है। यदि आपके कोई भी प्रश्न हों तो पुलिस कस्टडी अफसर से पूछें।

यदि आप बीमार हैं

यदि आप बीमार हैं अथवा आपको औषधि की आवश्यकता है तो पुलिस को बताएं। वे किसी डॉक्टर अथवा नर्स अथवा किसी और स्वास्थ्यसेवा के पेशेवर को बुलाएंगे और यह मुफ्त है। आपको शायद अपनी औषधि लेने की अनुमति दी जा सकती है परंतु पुलिस को पहले उसकी जांच करनी होगी। पहले एक नर्स आपकी जांच करेगी परंतु यदि आपको आवश्यकता हो तो पुलिस आपके लिए डॉक्टर भी बुलाएगी। आप किसी दूसरे डॉक्टर से मिलने का अनुरोध कर सकते हैं परंतु आपको शायद इसके लिए पैसे देने पड़े।

संपर्क में रहना

किसी वकील से बात करने और किसी व्यक्ति को आपके गिरफ्तारी के बारे में बताने के साथ-साथ आपको साधारणतः एक फोन कॉल करने की अनुमति दी जाएगी। यदि आप एक फोन कॉल करना चाहते हैं तो पुलिस से पूछें। आप कागज और कलम भी मांग सकते हैं। आपसे मुलाकाती भी मिलने आ सकते हैं परंतु कस्टडी अफसर शायद इसकी अनुमति न भी दें।

आपकी कोठरी

यदि संभव हो तो आपको अपने आप एक कोठरी में रखा जाना चाहिए। वह साफ, गर्म होनी चाहिए और उसमें रोशनी होनी चाहिए। आपका बिस्तरा साफ और अच्छी अवस्था में होना चाहिए। आपको शौचालय का प्रयोग करने और नहाने की अनुमति दी जानी चाहिए।

कपड़े

यदि आपके अपने कपड़े आपसे ले लिए जाएं तो पुलिस को आपको वैकल्पिक कपड़े प्रदान करने होंगे।

खाना और पीना

आपको अवश्य ही दिन में 3 भोजन और पेय पदार्थ प्रदान किए जाने चाहिए। आप भोजनों के बीच पेय पदार्थ भी ले सकते हैं।

व्यायाम

यदि संभव हो तो आपको प्रति दिन ताजी हवा के लिए बाहर जाने की अनुमति दी जानी चाहिए।

आपको कितने समय तक बंदी बना कर रखा जा सकता है?

साधारणतः बिना कोई आरोप लगाए आपको 24 घंटों तक हिरासत में रखा जा सकता है। यह समय अधिक लंबा हो सकता है परंतु केवल यदि पुलिस सूपरइंटेंडंट अथवा न्यायालय इसकी अनुमति दे। 36 घंटों के बाद केवल न्यायालय पुलिस को अनुमति दे सकती है कि वह बिना किसी दोष का आरोप लगाए आपको हिरासत में रखे।प्रायः किसी वरिष्ठ पुलिस अफसर को आपके मामले को देख कर तय करना होगा कि आपको वहां रखा जाना चाहिए या नहीं। इसे समीक्षा कहते हैं। यदि न आप अनुपयुक्त अवस्था में हों, आपके पास यह अधिकार है कि आप इस निर्णय के बारे में अपनी राय बताएं। आपके वकील के पास यह अधिकार है कि वे आपकी ओर से इस निर्णय के बारे में अपने विचार व्यक्त करे सकते हैं।

जब पुलिस आपसे प्रश्न पूछे

- कमरा साफ, गर्म होना चाहिए और उसमें रोशनी होनी चाहिए।
- आपको खड़े होने की कोई आवश्यकता नहीं होनी चाहिए।
- पुलिस अफसरों को आपको अपना नाम और ओहदा बताना चाहिए।
- आपको साधारण भोजन के समय में ब्रेक मिलना चाहिए और लगभग दो घंटों के बाद पेय पदार्थ पीने के लिए समय मिलना चाहिए।
- हिरासत में रहने के प्रत्येक 24 घंटों में आपको कम से कम 8 घंटों का आराम मिलना चाहिए।

जिन व्यक्तियों को सहायता चाहिए

- यदि आपकी आयु 17 वर्ष से कम है, अथवा आपको सीखने में कठिनाइयां होती हैं अथवा आपको मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं हैं तो पुलिस द्वारा कुछ विशिष्ट कार्य किए जाने के दौरान किसी व्यक्ति को आपके पास उपस्थित रहना चाहिए। इस व्यक्ति को आपका “उचित प्रौढ़ व्यक्ति” कहा जाता है।
- जब पुलिस आपको आपके अधिकार बताए और आपको बताए कि आपको पुलिस थाने में क्यों रखा जा रहा है तो आपके पास एक उचित प्रौढ़ व्यक्ति होना चाहिए। जब पुलिस आपको पुलिस की चेतावनी पढ़ कर सुनाए तब भी उस व्यक्ति को आपके साथ रहना चाहिए।
- आपका उचित प्रौढ़ व्यक्ति आपकी ओर से वकील का अनुरोध कर सकता/सकती है।
- यदि आप चाहें तो अपने उचित प्रौढ़ व्यक्ति की अनुपस्थिति में एक कमरे में अलग से अपने वकील से बात कर सकते हैं।

- पुलिस थाने में रहने के दौरान पुलिस को शायद निम्नलिखित सूचीबद्ध कार्यों में से कुछ करना पड़े। यदि पुलिस निम्नलिखित चीजों में से कुछ करे तो उस पूरे समय के दौरान आपके उचित प्रौढ़ व्यक्ति को वहां उपस्थित रहना चाहिए, यदि न कुछ विशेष कारण हो:
  - आपका साक्षात्कार ले अथवा आपसे किसी लिखित बयान अथवा पुलिस की टिप्पणियों पर हस्ताक्षर करने को कहा।
  - आपकी तलाशी लेने के लिए आपके बाहरी कपड़ों से अधिक हटाए।
- चश्मदीद गवाह द्वारा पहचान करवाने की कार्यप्रणाली से संबंधित कोई कार्य करे।
- यदि आपका उचित प्रौढ़ व्यक्ति उपलब्ध हो तो पुलिस द्वारा निम्नलिखित किए जाने के दौरान उन्हें वहां उपस्थित रहना चाहिए:
  - आपके मामले का पुनरीक्षण करके देखे कि आपको अधिक समय तक हिरासत में रखा जाना चाहिए या नहीं।
  - आप पर किसी दोष का आरोप लगाए।
  - आपके अंगुलियों के निशान लें, आपकी तस्वीर ले अथवा डी.एन.ए या कोई और नमूना ले।

आपकी मदद करने के लिए दुभाषिया बुलाना

यदि आप अंग्रेजी बोलते अथवा समझते नहीं हैं तो पुलिस आपकी मदद करने के लिए किसी ऐसे व्यक्ति का प्रबंध करेगी जो आपकी भाषा बोलता/बोलती है।

यदि आप बधिर हैं अथवा आपको बोलने में कठिनाई होती है तो आपकी मदद करने के लिए पुलिस एक ब्रिटिश साइन लैंगुएज अंग्रेजी दुभाषिये का प्रबंध करेगी।

जब पुलिस आपसे प्रश्न पूछेगी तो वह दुभाषिया आपकी अपनी भाषा में प्रश्नों और आपके उत्तरों को दर्ज करेगा। सटीक रिकार्ड मान कर उस पर हस्ताक्षर करने से पहले आप उसे जांच सकते हैं।

यदि आप पुलिस को कोई बयान देते हैं तो दुभाषिया आपकी भाषा में उसकी एक प्रति बनाएगा जिससे कि आप उसकी जांच कर सकें और सही मान कर उस पर हस्ताक्षर कर सकें।

जो लोग ब्रिटिश नहीं हैं

यदि आप ब्रिटिश नहीं हैं तो आप पुलिस से कह सकते हैं कि आप अपने हाइ कमीशन, दूतावास अथवा काउनसिलेट से संपर्क कर के उन्हें बताना चाहते हैं कि आप कहां हैं और पुलिस थाने में क्यों हैं। वे आपसे प्राइवेट में आ कर मिल सकते हैं अथवा किसी वकील का प्रबंध कर सकते हैं जो आपसे आ कर मिलेगा।

वह परिस्थितियां जब सामान्य नियम भिन्न होते हैं

ऐसी कुछ विशेष परिस्थितियां हैं जब अपने वकील से बात करने से पहले पुलिस को आपके साथ तुरंत बात करने की आवश्यकता हो। इन विशेष परिस्थितियों की जानकारी, कार्यप्रणाली की आचार संहिता में उल्लिखित हैं। यह वह पुस्तक है जो बताती है कि पुलिस थाने में रहने के दौरान पुलिस क्या कर सकती है और क्या नहीं कर सकती है। यदि आप इस विस्तृत विवरण को देखना चाहते हैं तो वे कार्यप्रणाली की आचार संहिता के अनुच्छेद 6.6 में उल्लिखित हैं।
ऐसी एक विशेष परिस्थिति है जब पुलिस आपको आपके द्वारा चुने वकील से बात नहीं करने देगी। यदि ऐसा हो तो आपको एक दूसरे वकील को चुनने की अनुमति दी जानी चाहिए। यदि आप यह विस्तृत विवरण देखना चाहते हैं तो वह कार्यप्रणाली की आचार संहिता के कोड सी की अनुक्रमणिका बी में उल्लिखित है।

किसी को बताना कि आप पुलिस थाने में हैं

ऐसी कुछ विशेष परिस्थितियां हैं जब पुलिस आपको किसी से संपर्क नहीं करने देगी। इन विशेष परिस्थितियों की जानकारी कार्यप्रणाली की आचार संहिता में दी गई है। यदि आप यह विस्तृत विवरण देखना चाहते हैं तो वह कार्यप्रणाली की आचार संहिता के कोड सी की अनुक्रमणिका बी में उल्लिखित है।

श्वास परीक्षण

यदि आपको शराब के नशे में गाड़ी चलाने के अपराध में गिरफ्तार किया गया है तो आपके पास अपने वकील से बात करने का अधिकार है। इस अधिकार का यह अर्थ नहीं है कि आप पुलिस को श्वास, रक्त अथवा पेशाव का नमूना देने से मना करें, चाहे आपने तब तक अपने वकील से बात न की हो।

मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम 1983 के अंतर्गत आपको हिरासत में रखना

मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम के अंतर्गत आंकलन करने के लिए पुलिस लोगों को हिरासत में रख सकती है। यदि मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम के अंतर्गत आपको हिरासत में रखा गया है तो इसका यह मतलब नहीं है कि आपको किसी अपराध के लिए गिरफ्तार किया गया है।
इसका यह मतलब है कि आंकलन करने के लिए पुलिस किसी डॉक्टर या अनुमोदित मानसिक स्वास्थ्य पेशेवर का प्रबंध करेगी जो आपसे आ कर मिलेंगे। पुलिस थाने में आने के पश्चात 72 घंटों (3 दिन) के भीतर आपका आंकलन किया जाना चाहिए परंतु जितनी जल्दी संभव हो पुलिस इसका प्रबंध करेगी। इस समय के दौरान पुलिस शायद आपको एक अधिक उचित स्थान पर भेज सकती है जिससे कि आंकलन करने में सहूलियत हो। आपके आंकलन की प्रतीक्षा करने के दौरान पुलिस शायद किसी अनुमोदित स्वास्थ्यसेवा पेशेवर का प्रबंध करेगी जो आपसे आ कर मिल सकता है। वे आंकलन नहीं कर सकेंगे परंतु आपके अन्य स्वास्थ्य समस्याओं में आपकी सहायता कर सकते हैं और वे आपको समझा सकते हैं कि आंकलन का क्या अर्थ है।

स्वाधीन कस्टडी मुलाकाती

समुदाय के कुछ ऐसे सदस्य हैं जो बिना बताए पुलिस थाने में आ सकते हैं। इन्हें स्वाधीन कस्टडी मुलाकाती कहते हैं और वे स्वैच्छिक रूप से काम करते हैं जिससे कि सुनिश्चित किया जा सके कि हिरासत में रखे गए लोगों को साथ ठीक से बर्ताव किया जा रहा है और वे अपने अधिकार प्राप्त कर रहे हैं।
आपके पास स्वाधीन कस्टडी मुलाकाती से मिलने का अधिकार नहीं है और आप अनुरोध नहीं कर सकते हैं कि कोई स्वाधीन कस्टडी मुलाकाती आप से आ कर मिले। आपके हिरासत में रहने के दौरान यदि कोई स्वाधीन कस्टडी मुलाकाती आता है तो वे पुलिस से स्वाधीन हैं जिससे कि वे सुनिश्चित कर सकें कि आपके कल्याण और अधिकारों को सुरक्षित रखा जा रहा है। यद्यपि, यदि आप न चाहें तो आपको उनसे बात करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

किस प्रकार शिकायत करें

यदि आपसे किए गए बर्ताव के बारे में आप शिकायत करना चाहते हैं तो किसी ऐसे पुलिस अफसर से बात करने का अनुरोध करें जो इंस्पेक्टर या उससे ऊंचे ओहदे का है। रिहा किए जाने के पश्चात आप किसी भी पुलिस थाने, इंडीपेंडंट पुलिस कम्प्लेंट्स कमीशन (आइ.पी.सी.सी) अथवा आपकी ओर से किसी वकील या एम.पी द्वारा शिकायत कर सकते हैं।